संख्या-23/2024/233/एक-1-2024-1-1099/184/2023

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई, 2024

विषयः के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना हेतु राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा द्वारा ग्राम अकबरपुर, तहसील छाता, मथुरा में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-220/सात-बी/भू0व्य0/2021-22, दिनांक-18.06.2021 एवं पत्र संख्या-220/सात-बी/भू0व्य0/2024, दिनांक-12.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना हेतु राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा द्वारा ग्राम अकबरपुर, तहसील छाता, मथुरा में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण का संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या-928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक-26.10.2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 के आलोक में श्री राज्यपाल उपरिउल्लिखित पत्र दि0 12-3-2023 में अंकित विवरण के अनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-89 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गई कुल 38.591 भूमि में से उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश के अनुसार विश्वविद्धालय की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि उपलब्धता की अनिवार्यता से आच्छादित भूमि को जुर्माने के संदाय से छूट प्रदान करते हुए विनियमितीकरण तथा अवशेष प्रस्तावित भूमि का सशुल्क विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्त के साथ प्रदान करते हैं:-

संस्था द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के 10 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा-शीर्षक "राजस्व एवं पूंजीलेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान" के लेखाशीर्ष "0029-भू-राजस्व-101-भू-राजस्व/कर-06-राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्राप्तियां" के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "0603-अन्य प्राप्तियां" में जमा किया जायेगा।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4. डॉ0 राम किशोर अग्रवाल, राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी, 323, डीग गेट, मथुरा-281001
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0 पी0 सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।